न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :210/2021

वादीगण–

1. भवानीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. करण सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
3. नन्दूसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
4. पप्पूसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
5. मुकनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह फौत के कायम मुकामात

   5/1 मुन्नी कंवर पत्नी स्व. मुकनसिंह

   5/2 भरतसिंह पुत्र मुकनसिंह

   5/3 हंसराज पुत्र मुकनसिंह

   5/4 चांद कवंर उर्फ पिंकी कंवर पुत्री मुकनसिंह उम्र 17 वर्ष संरक्षक जरिये कुदरती वलिया माता मुन्नी कंवर, तमाम

   जातियान– राजपूत निवासीगण–धानणी ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सुल्तानसिंह पुत्र हनुमानसिंह
2. सरोज कंवर पुत्री सुल्तानसिंह पत्नी दीपसिंह

   जातियान– राजपूत निवासीगण–धानणी ,तहसील जायल (नागौर)

3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह ढाका प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा धानणी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 484/89 रकबा 2.1367 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 137 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.9770 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2077 में वाद पत्र के पैरा

14/10/2021

Scanned with CamScanner

संख्या 2 (क) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादीगण कमश भवानीसिंह, करणसिंह, नन्दूसिंह, पप्पुसिंह एवं मुकनसिंह के का.मु के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नंबर 484/89 रकबा 2.1367 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 137 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.9770 हैक्टेयर रखे गये है। प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 90 वर्ष हो चुकी है जिसके कारण चल फिर नहीं सकते तथा प्रतिवादी संख्या 2 अपने ससुराल गांव धाणा तहसील नेछवा में रहती है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक बंट अपने भाईयों के पक्ष में रख दिया है इसलिये मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 14.10.2021 को उपस्थित न्यायालय राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह ढाका ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह भवानीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम धानणी तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 380 प्रदर्श–1, 381 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से

Scanned with CamScanner

2 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा, साक्ष्य शपथ पत्र व सहमति से वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिंक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा धानणी के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 137, 85, 484/89 की खातेदारी को वादीगण 1 से 5 के मध्य 1/5–1/5 हिस्से की खातेदारी इस्तदुआ चाही है। प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट में

Scanned with CamScanner

कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार हक तर्क से स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 137,85, 484/89 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 137,85, 484/89 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीगण कमश भवानीसिंह, करणसिंह, नन्दूसिंह, पप्पुसिंह एवं मुकनसिंह के का.मु के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नंबर 484/89 रकबा 2. 1367 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 137 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0. 9770 हैक्टेयर रखे जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक बंट अपने भाईयों के पक्ष में रख दिया है इसलिये मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार जरिये हक तर्क स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक ....14/10/2021.... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :210/2021

वादीगण–

1. भवानीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. करण सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
3. नन्दूसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
4. पप्पूसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
5. मुकनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह फौत के कायम मुकामात
   5/1 मुन्नी कंवर पत्नी स्व. मुकनसिंह
   5/2 भरतसिंह पुत्र मुकनसिंह
   5/3 हंसराज पुत्र मुकनसिंह
   5/4 चांद कवंर उर्फ पिंकी कंवर पुत्री मुकनसिंह उम्र 17 वर्ष संरक्षक जरिये कुदरती वलिया माता मुन्नी कंवर, तमाम
   जातियान– राजपूत निवासीगण–धानणी ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सुल्तानसिंह पुत्र हनुमानसिंह
2. सरोज कंवर पुत्री सुल्तानसिंह पत्नी दीपसिंह
   जातियान– राजपूत निवासीगण–धानणी ,तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह ढाका प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 श्री राजेन्द्रसिंह ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 137,85, 484/89 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता

14/10/2021

Scanned with CamScanner

है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण कमश भवानीसिंह, करणसिंह, नन्दूसिंह, पप्पुसिंह एवं मुकनसिंह के का.मु के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नंबर 484/89 रकबा 2.1367 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 137 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.9770 हैक्टेयर रखे जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक बंट अपने भाईयों के पक्ष में रख दिया है इसलिये मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार जरिये हक तर्क स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/10/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner